परिशिष्ट 1

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय

MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY
राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर-334004 (राजस्थान) भारत
NH 15, Jaisalmer Road, Bikaner-334004 (Rajasthan) INDIA
दूरभाष/Phone: 0151.2212044 फैक्स/Fax: 2212042 ई-मेल/E-mail:
Registrar@mgsubikaner.ac.in

प.07( )मगंसिविबी/प्रबन्ध मण्डल-29/2017/ दिनांक

प्रबन्ध बोर्ड की 29 वीं बैठक
कार्यवृत (Minutes)

प्रबन्ध बोर्ड की 29वीं बैठक दिनांक 09-08-2017 को प्रातः 11:00 बजे प्रशासनिक भवन सभागार में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

उपस्थिति :-

1	**प्रो. भगीरथ सिंह, कुलपति,** महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	अध्यक्ष
2	डॉ. गोपाल कृष्ण जोशी माननीय विधायक-बीकानेर पश्चिम	सदस्य
3	डॉ. विजय कुमार पंचोली माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा मनोनीत शिक्षाविद्	सदस्य
4	प्रो. राजीव सक्सेना राज्य सरकार द्वारा मनोनीत शिक्षाविद्	सदस्य
5	डॉ. सुशील कुमार बिस्सू राज्य सरकार द्वारा मनोनीत शिक्षाविद्	सदस्य
6	डॉ. दिग्विजय सिंह प्रतिनिधि, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, राज. सरकार	सदस्य
7	डॉ. एस.एन. शर्मा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय	सदस्य
8	डॉ. आर.जी. शर्मा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत प्राचार्य, निजी महाविद्यालय	सदस्य
9	प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत आचार्य	सदस्य
10	डॉ. बेना भनोत कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत संकायाध्यक्ष	सदस्य
11	डॉ. अनिल कुमार छंगाणी कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत संकायाध्यक्ष	सदस्य

12	श्री मनोज कुमार शर्मा, आई.ए.एस. कुलसचिव महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	सदस्य सचिव
13	श्री भंवर सिंह चारण, वित्त नियंत्रक महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	विशेष आमंत्रित

निम्नलिखित सदस्य बैठक में अनुपस्थित रहे -

1	सुश्री सिद्धि कुमारी, माननीया विधायक-बीकानेर पूर्व	सदस्य
2	अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त, राजस्थान सरकार	सदस्य
3	आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान	सदस्य
4	प्रो. सोमेश कुमार शुक्ला, माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा मनोनीत शिक्षाविद्	सदस्य

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने प्रबन्ध मण्डल के सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए समस्त सदस्यों का परिचय कराया गया। कुलपति महोदय द्वारा माननीय सदस्यों को नियम, परिनियम, विनियम एवं आर्डिनेंस के अनुसार ही बैठक में निर्णय लेने हेतु आश्वस्त करते हुए माननीय सदस्यों से अपेक्षा की गई कि वे नियम, परिनियम, विनियम एवं आर्डिनेंस के अनुसार ही सकारात्मक सहयोग प्रदान कर बैठकों की कार्यवाही करवायें। कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक उन्नयन एवं आधारभूत विकास की संरचना हेतु आयोजित ***Campus Dialogue, Round Table Talk with Students Union, Help Line, University Foundation Day*** (प्रथम बार आयोजित) आदि गतिविधियों से प्रबन्ध मण्डल को अवगत कराया गया। इसके पश्चात् प्रबन्ध मण्डल की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया। तत्पश्चात कार्यसूची पर कार्यवाही प्रारम्भ की गई :-

मद संख्या	विवरण	अनुभाग/ विभाग
349	प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 23-09-2016 को सम्पन्न हुई 28 वी बैठक के कार्यवृत की पुष्टि का प्रस्ताव। **निर्णय :- पुष्टि की गई।**	शैक्षणिक
350	प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 23-09-2016 को आयोजित 28वी बैठक में लिये गए निर्णयों की बिन्दुवार अनुपालना रिपोर्ट अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्ताव। **निर्णय :- पालना रिपोर्ट का अनुमोदन इस प्रेक्षण के साथ किया गया कि मोबाइल+टेलीफोन+इंटरनेट आदि की सुविधा महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर की दरों के अनुसार प्रदान की जाए।**	सामान्य प्रशासन

351	**प्रतिवेदन है कि** विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12(6) के प्रावधान में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए माननीय कुलपति महोदय द्वारा 01 अप्रेल, 2017 से 31 जुलाई, 2017 तक अंतरिम बजट (लेखानुदान) अनुमोदित किया गया। पुष्टि का प्रस्ताव । **निर्णय :- पुष्टि की गई। माह अगस्त, 2017 तक बढाये गए लेखानुदान आदेश क्रमांक Spl. 1-4 दिनांक 04-08-2017 की भी पुष्टि की गई।**	लेखा
352	विश्वविद्यालय के सामान्य एवं स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत वित्त वर्ष 2016-17 का वास्तविक व्यय एवं वित्त वर्ष 2017-18 का बजट अनुमान विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ का प्रस्ताव। **निर्णय :- अनुमोदन किया गया। आगामी बजट में प्रावधान करते समय यह ध्यान रखा जाए कि प्रस्तावित राशि एवं वास्तविक खर्च राशि में ज्यादा अन्तर नही हो।**	लेखा
353	विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के खातों की सनद लेखाकार से प्राप्त अंकेक्षण रिपोर्ट अवलोकन एवं अनुमोदन का प्रस्ताव। **निर्णय :- अनुमोदन किया गया।**	लेखा
354	राज्य सरकार के आदेश क्रमांक F6(3)FD/Rules/2012 Pt. dated 09 Jun, 2017 के द्वारा जारी संशोधित यात्रा भत्ता दरों को विश्वविद्यालय में लागू किया जाना है। प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव । **निर्णय :- अनुमोदन किया गया।**	लेखा
355	विश्वविद्यालय में प्रबन्ध मण्डल, चयन समिति, विद्या परिषद, अध्ययन मण्डल, शोध कार्य, शैक्षणिक गतिविधियों, महाविद्यालयों के निरीक्षण एवं अन्य कार्यो हेतु टैक्सी/स्वयं के वाहन से यात्रा करने पर पूर्व में निर्धारित दरों में संशोधन का प्रस्ताव। **निर्णय :-विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 की धारा 48 के प्रावधानुसार महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के आदेश को उपांतरित करते हुए निम्नानुसार दरें निर्धारित की जाती है :-** 1. प्रबन्ध मण्डल सदस्य, चयन समिति सदस्य, NAAC Team एवं विशेष सदस्य जिन्हें विश्वविद्यालय के विशेष कार्य से आमंत्रित किया	लेखा

	गया को वास्तविक व्यय जो अधिकतम रू. 12/- प्रति. कि.मी. की दर से अधिक न हो। 2. विद्या परिषद, अध्ययन मण्डल, Viva-Voce हेतु आमंत्रित विशेषज्ञ, निरीक्षण दल, प्रायोगिक परीक्षक, उडनदस्ता दल, संगोष्ठी, कार्यशाला एवं अन्य कार्यों से आमंत्रित विशेषज्ञ, विश्वविद्यालय कार्यों हेतु गठित समिति सदस्यों इत्यादि को वास्तविक व्यय जो 09/- प्रति. कि.मी. की दर से अधिक न हो। इन सदस्यों को व्यक्तिगत, ई-मेल या पत्र के माध्यम से माननीय कुलपति महोदय से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।	
356	विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों एवं शैक्षणिक गतिविधियों हेतु राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान/वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया जाता है। ऐसे विद्वान/वैज्ञानिकों को बीकानेर में ठहरने एवं उनकी यात्रा हेतु स्तरीय व्यवस्था (होटल में ठहराव एवं कार) उपलब्ध करवाना आवश्यक होता है। ऐसे विद्वान/वैज्ञानिकों को विश्वविद्यालय के अतिथि का दर्जा प्रदान करने हेतु प्रस्ताव । **निर्णय :- विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 की धारा 48 के प्रावधानुसार महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के आदेश को उपांतरित करते हुए विश्वविद्यालय अतिथि का दर्जा प्रदान करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।**	सामान्य प्रशासन
357	विश्वविद्यालय शिक्षकों/कार्मिकों की असामयिक दुर्घटना (मृत्यु/गंभीर बीमारी/अपंगता) की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जोखिम निधि के गठन हेतु प्रस्ताव । **निर्णय :- प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। प्रक्रिया आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।**	लेखा
358	विश्वविद्यालय की आधारभूत संरचना, शैक्षणिक उन्नयन एवं अन्य कार्यों के लिए बाहरी स्रोत (दानदाताओं) से प्राप्त राशि एवं उस राशि के उपयोग हेतु विश्वविद्यालय में लोक अंशदान निधि की स्थापना हेतु प्रस्ताव । **निर्णय :- प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।**	लेखा
359	विश्वविद्यालय में संचित निधि **(Corpus Fund)** का प्रावधान करने हेतु प्रस्ताव । **निर्णय :- प्रस्ताव स्वीकृत करते हुए 50.00 लाख रू. का प्रावधान करने का निर्णय लिया गया।**	लेखा

360	विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/अनुभाग में दिन-प्रतिदिन बढते रिकार्ड/डाटा के उचित संधारण हेतु विश्वविद्यालय में रिकार्ड एवं सांख्यिकी अनुभाग की स्थापना करने हेतु प्रस्ताव । **निर्णय :- प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।**	संस्थापन
361	विश्वविद्यालय कार्मिकों के पेंशन परिलाभ प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु विश्वविद्यालय में पेंशन प्रकोष्ठ की स्थापना करने हेतु प्रस्ताव । **निर्णय :- ग्रेज्युटी प्रकोष्ठ की स्थापना के प्रेक्षण के साथ प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।**	संस्थापन
362	माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति उपरान्त जारी आदेश प्रबन्ध मण्डल की पुष्टि हेतु प्रस्ताव। (1) **प्रतिवेदित है कि** विश्वविद्यालय, अधिनियम 2003 की धारा 43 के अनुसार प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन उपरान्त राज्य सरकार को प्रेषित की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट का विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12(6) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदन किया गया। वार्षिक प्रतिवेदन प्रबन्ध मण्डल की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। **निर्णय :- पुष्टि की गई।** (2) **प्रतिवेदित है कि** विश्वविद्यालय में शिक्षकों एवं कार्मिकों की परिवेदनाओं के निस्तारण हेतु विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प. 03(57)मगंसिविबी/संस्था/2017/48273 दिनांक 04-05-2017 के द्वारा शिकायत निवारण समिति (Grievance Redresal Committee) का गठन किया गया है। आदेश प्रबन्ध मण्डल की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। **निर्णय :- पुष्टि की गई।** (3) **प्रतिवेदित है कि** विश्वविद्यालय में संचालित पांच विभागों में दैनिक खर्चो को दृष्टिगत रखते हुए में रखते हुए विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 38503 दिनांक 10-02-2017 के द्वारा प्रत्येक विभागाध्यक्षों को राशि रू. 10,000/- (दस हजार) इम्प्रेस्ट के रूप में अग्रिम स्वीकृत किये गए है। आदेश प्रबन्ध मण्डल की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। **निर्णय :- पुष्टि की गई।**	

(4) **प्रतिवेदित है कि** विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत संचालित विधि पाठ्यक्रम के संचालन हेतु डॉ. अनिल कुमार कौशिक, सेवानिवृत प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, बीकानेर को प्रभारी, विधि पाठ्यक्रम के रूप में विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प. 03(11)/मगंसिविबी/ संस्था/2017/53003 दिनांक 01-06-2017 के द्वारा स्थिर मासिक पारिश्रमिक रू. 26,000/- पर संविदात्मक सेवाएं ली जा रही है।

इसी प्रकार विश्वविद्यालय में कार्य की अधिकता एवं अधिकारियों की संख्या अत्यल्प होने के कारण राज्य सरकार के कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 10-02-2016 के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प.03(11)/मगंसिविबी/संस्था/2017/299 दिनांक 28-04-2017 के द्वारा डॉ. एम.एल. भादू, सेवानिवृत व्याख्याता, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर को परीक्षात्मक कार्यो हेतु समन्वयक के रूप में स्थिर मासिक पारिश्रमिक रू. 20,000/- पर संविदात्मक सेवाएं ली जा रही है।

उक्त दोनों आदेश प्रबन्ध मण्डल की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय :- इस प्रेक्षण के साथ पुष्टि की गई कि गोपनीय अनुभाग में प्रभारी अधिकारी के रूप में सेवानिवृत शिक्षकों/अधिकारियों की संविदात्मक सेवाएं नहीं ली जाए।

(5) **प्रतिवेदित है कि** विश्वविद्यालय में भवनों के निर्माण की संरचना, गुणवत्ता की योजना तैयार करना, परिसर को विकसित करने आदि कार्यों के लिए सुझाव देने हेतु विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 47275 दिनांक 21-04-2017 के द्वारा भवन निर्माण समिति का गठन किया गया है। आदेश प्रबन्ध मण्डल की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय :- विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 की धारा 48 के प्रावधानुसार महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के आदेश को उपांतरित करते हुए समिति में भामाशाहों के नाम जोड़ने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। सम्पदा

	(6) **प्रतिवेदित है कि** दिनांक 01-05-2017 को आयोजित भवन निर्माण समिति की बैठक का कार्यवृत्त प्रबन्ध मण्डल की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। **निर्णय :- पुष्टि की गई। आगामी बैठकों में तकमीना सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करे।** (7) **प्रतिवेदित है कि** राज्य सरकार के आदेश क्रमांक F.6(1)FD(Rules)/2008 dated 17 Nov., 2016 एवं dated 13-04-2017 के अनुसरण में विश्वविद्यालय अधिकारियों/कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों का माह जुलाई, 2016 एवं जनवरी, 2017 में महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि को विश्वविद्यालय में लागू किया गया। प्रबन्ध मण्डल की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। **निर्णय :- पुष्टि की गई।** (8) **प्रतिवेदित है कि** विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों एवं शैक्षणिक गतिविधियों में आने वाले बीज वक्ता (Key Speaker) को मानदेय भुगतान हेतु आदेश क्रमांक 39613-642 दिनांक 02-03-2017 जारी किया गया। आदेश प्रबन्ध मण्डल की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। **निर्णय :- पुष्टि की गई।** (9) **प्रतिवेदित है कि** विश्वविद्यालय में परीक्षात्मक एवं गैर परीक्षात्मक कार्यों के लिए राशि रू. 1.00 लाख तक की सामग्री खरीद के लिए विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 272942 दिनांक 27-01-2016 के द्वारा लघु क्रय समिति गठित की गई। आदेश प्रबन्ध मण्डल की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। **निर्णय :- पुष्टि की गई।** (10) **प्रतिवेदित है कि** विश्वद्यालय क्रय समिति द्वारा क्रय की गई सामग्री की निविदा शर्तानुसार गुणवत्ता निरीक्षण हेतु विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 43169 दिनांक 24-03-2017 के द्वारा निरीक्षण समिति का गठन किया गया। आदेश प्रबन्ध मण्डल की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। **निर्णय :- पुष्टि की गई।**	सम्पदा

	(11) **प्रतिवेदित है कि** विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दर 5.50 रू. प्रति. कि.मी. की दर से बाजार में वाहन उपलब्ध नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय कार्यों के लिए नियुक्त/आमंत्रित शिक्षाविद् (वर्तमान कुलपति, पूर्व कुलपति, अध्ययन मण्डल एवं निरीक्षण दल के सदस्य आदि) के द्वारा स्वयं के वाहन/टैक्सी से यात्रा करने पर 8.00/- रू. प्रति. कि.मी. की दर से भुगतान किया गया। उक्त स्वीकृति प्रबन्ध मण्डल की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। **निर्णय :- पुष्टि की गई।**	
363	विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा 2004 से 2014 तक की उपाधियाँ वितरित की जा चुकी है एवं आगामी परीक्षाओं की उपाधियों का वितरण किया जाना है। उपाधियों के वितरण उपरान्त कुछ छात्रों द्वारा डुप्लीकेट उपाधि की मांग की जाती है, ऐसे छात्रों से शपथ-पत्र/एफ.आई.आर. की प्रति एवं निर्धारित शुल्क प्राप्त कर डुप्लीकेट उपाधि जारी करने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है। **निर्णय :- स्वीकृत किया गया।**	
364	विद्या परिषद की आयोजित 16वी बैठक दिनांक 27-07-2017 का कार्यवृत अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। **निर्णय :- कार्यवृत का अनुमोदन किया गया।**	शैक्षणिक

टेबल एजेण्डा

मद संख्या	विवरण	अनुभाग
365 (i)	विश्वविद्यालय परिसर में पानी का स्रोत नही होने कारण पानी का नितान्त अभाव है। विश्वविद्यालय में प्रतिदिन आने वाले छात्रों स्टॉफ एवं परिसर विकास करने हेतु आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा मे ***"पानी"*** उपलब्ध कराने के लिए जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार के माध्यम से 8 इंच डी.आई. पाइपलाईन डलवाई जानी है जिस पर लगभग 621 लाख रू. की राशि व्यय होनी प्रस्तावित है। प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। **निर्णय :- प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।**	सम्पदा

365 (ii)	(1) विश्वविद्यालय में शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षक के रूप में सेवाएं लेने पर राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.1(3)शिक्षा-4/2010 जयपुर दिनांक 26-05-2014 के अनुसार भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। (2) विश्वविद्यालय में संचालित स्व-वित्त पोषित पाठ्यक्रमों में शिक्षण कार्य हेतु योग्यताधारी शिक्षकों की सेवाएं लेने पर निम्न दरों से भुगतान किया जाना प्रस्तावित है :- सहायक आचार्य - 300/- रू. प्रति कालांश सह आचार्य - 400/- रू. प्रति कालांश आचार्य - 500/- रू. प्रति कालांश **अधिकतम 25,000/- प्रति माह** प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। **निर्णय :- (1) स्वीकृत किया गया।** **(2) राशि रू. 500/- प्रति कालांश या अधिकतम राशि रू. 25,000/- प्रतिमाह मानदेय निर्धारित किया गया।**	संस्थापन
365 (iii)	विश्वविद्यालय में सेवानिवृत सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं संविदा के आधार पर लेने हेतु कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ.17(10)डीओपी/ ए-II/94 दिनांक 11 जुलाई, 2017 को अंगीकृत करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है। **निर्णय :- प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।**	संस्थापन
365 (iv)	विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव के सम्पन्न कराने हेतु राज्य सरकार समय-समय पर प्राप्त दिशा-निर्देशों के आधार पर तैयार किये ***"छात्रसंघ संविधान"*** अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। **निर्णय :- अनुमोदन किया गया।**	अधिष्ठाता - छात्र कल्याण
365 (v)	1. सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों द्वारा सम्बद्धता शर्तों की पालना नही करने पर पूर्व में प्रबन्ध मण्डल द्वारा आरोपित शास्तियों के संदर्भ में पुनः विचार हेतु प्रस्ताव। 2. विश्वविद्यालय के सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों द्वारा नियमानुसार 31 दिसम्बर तक सम्बद्धता शुल्क भिजवाने के क्रम में कतिपय	शैक्षणिक- I शैक्षणिक- II

महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित अवधि में सम्बद्धता शुल्क राशि का डी.डी. बनवा लिया जाता है परन्तु उनके द्वारा उक्त अवधि के पश्चात विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जाता है। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय नियमानुसार 31 दिसम्बर के पश्चात प्राप्त होने वाले सम्बद्धता शुल्क के बराबर विलम्ब शुल्क आरोपित करने का प्रावधान है। विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्त नियमों के क्रम में कार्यवाही करने के दौरान महाविद्यालयों द्वारा समय-समय पर अनुरोध किया जाता रहा है कि महाविद्यालय द्वारा नियमानुसार निर्धारित तिथि मे सम्बद्धता शुल्क का डी.डी. तैयार करवा लिया जाता है, परन्तु डाक में देरी अथवा अन्य कारणों से उपरोक्त डी.डी. विश्वविद्यालय में निर्धारित तिथि 31 दिसम्बर के पश्चात प्राप्त होने पर विलम्ब शुल्क का आरोपण करना सही नहीं है।

अतः इस संदर्भ में महाविद्यालयों के निवेदन पर एवं उपरोक्त समस्या के समाधान हेतु आगामी सत्र से विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता शुल्क को ऑनलाईन प्राप्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। अतः ऐसे महाविद्यालयों से प्राप्त सम्बद्धता शुल्क जिनका डी.डी. 31 दिसम्बर तक बन चुका है लेकिन विश्वविद्यालय में प्राप्ति की दिनांक 31 दिसम्बर के पश्चात है ऐसे महाविद्यालयों पर विलम्ब शुल्क आरोपित नही करते हुए सम्बद्धता की कार्यवाही की जानी उचित प्रतीत होती है।

निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :-

(1) शास्ति के बकाया प्रकरणों के निस्तारण हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया

(2) बकाया प्रकरणों में महाविद्यालयों को चेतावनी पत्र देते हुए सम्बद्धता विलम्ब शुल्क माफ किया गया।

365 (vi)	विश्वविद्यालय में संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु तैयार किये गए नियम अनुमोदन का प्रस्ताव। **निर्णय :- आगामी बैठक में अनुमोदन होने तक महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के अनुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।**	शैक्षणिक-

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

कुलपति

कुलसचिव